न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 38/2023

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी		1. नाथुराम गौड़ पुत्र श्री गोविन्दराम जाति ब्राहमण निवासी गोमत ऋषि कॉलोनी ज्योति नगर चांदना भाखर पुलिस थाना प्रतापनगर जोधपुर 2. हेमाराम पुत्र श्री केसाराम जाति जाट निवासी अरटवा पुलिस थाना गुडामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री विष्णु चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 03.06.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 12.09.2022 को श्री शुभकरण आरपीएस गुडामालानी द्वारा एक लिखित रिपोर्ट मय मुर्तिबा फर्दात पेश की। श्री शुभकरण आरपीएस वृताधिकारी वृत गुडामालानी द्वारा माफिक सूचना अनुसार गुडामालानी थाना परि[illegible] में [illegible] कर दिनांक 10.09.2022 को खड़े करवाये टैंकर नम्बर आरजे [illegible] जीबी 8217 चैसिस नम्बर MB1CTDYC3EPTL0796 इंजन नम्बर ET[illegible]15721 का निरीक्षण [illegible]रान किया तथा दिनांक 10.09.2022 को जरिये खास मुखबिर से मिली सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:43:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनुसार टैंकर नम्बर आरजे 19 जीबी 8217 जो पेट्रोल पम्प के पास सड़क किनारे पेट्रोलियम पदार्थ से भरा खड़ा है, जिसके पास कोई अनुज्ञापत्र या लाईसेंस नहीं है। उक्त टैंकर का चालक परिचालक नहीं मिला संदिग्ध होने से हमराह लेकर थाना परिसर में खड़ा करवाया, तथा टैंकर में चार कम्पार्ट में कुल 19948 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया जिसे रूबरू मौतबिरान वास्ते सबूत जब्त किया गया। उक्त टैंकर मे कोई कागजात या पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन करने के संबंध में बिल्टी या बिल नहीं पाये जाने पर सर्च किया गया तो वाहन स्वामी श्री नाथूराम पुत्र गोविन्दराम महागोतम ऋषि कालोनी ज्योति नगर चांदना भाखर जोधपुर पाया गया। उक्त ट्रक मालिक का कृत्य अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की ब्रिकी/खरीद/भण्डारण पर मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण नाथुराम गौड़ व अन्य के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 19948 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) ट्रैक्टर नंबर आरजे 19 जीबी 8217 चैसिस नम्बर MB1CTDYC3EPTL0796 इंजन नम्बर ETPZ115721 का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में किसी प्रकार का कोई मुकदमा, प्रकरण अथवा दोषसिद्ध नहीं हुआ है। लिहाजा प्रकरण में वाहन एवं पेट्रोलियम पदार्थ का बरी किया जावे तथा उनके विरूद्ध की गई कानूनी कार्यवाही ड्रॉप कर वाहन टैंकर एवं पेट्रोलियम पदार्थ को वाहन स्वामी को लौटाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:43:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि दिनांक 12.09.2022 को श्री शुभकरण आरपीएस गुडामालानी द्वारा एक लिखित रिपोर्ट मय मुर्तिबा फर्दात पेश की। श्री शुभकरण आरपीएस वृताधिकारी वृत गुड़ामालानी द्वारा माफिक सूचना अनुसार गुडामालानी थाना परिसर में डिटेन कर दिनांक 10.09.2022 को खड़े करवाये टैंकर नम्बर आरजे 19 जीबी 8217 चैसिस नम्बर MB1CTDYC3EPTL0796 इंजन नम्बर ETPZ115721 का निरीक्षण मौतबीरान किया तथा दिनांक 10.09.2022 को जरिये खास मुखबिर से मिली सूचना अनुसार टैंकर नम्बर आरजे 19 जीबी 8217 जो पेट्रोल पम्प के पास सड़क किनारे पेट्रोलियम पदार्थ से भरा खड़ा है, जिसके पास कोई अनुज्ञापत्र या लाईसेंस नहीं है। उक्त टैंकर का चालक परिचालक नहीं मिला संदिग्ध होने से हमराह लेकर थाना परिसर में खड़ा करवाया, तथा टैंकर में चार कम्पार्ट में कुल 19948 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया जिसे रूबरू मौतबिरान वास्ते सबूत जब्त किया गया। उक्त टैंकर मे कोई कागजात या पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन करने के संबंध में बिल्टी या बिल नहीं पाये जाने पर सर्च किया गया तो वाहन स्वामी श्री नाथूराम पुत्र गोविन्दराम महागोतम ऋषि कालोनी ज्योति नगर चांदना भाखर जोधपुर पाया गया। उक्त ट्रक मालिक का कृत्य अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की ब्रिकी/खरीद/भण्डारण पर मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण नाथुराम गौड़ व अन्य के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 19948 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) ट्रैक्टर नम्बर आरजे 19 जीबी 8217 चैसिस नम्बर MB1CTDYC3EPTL0796 इंजन नम्बर ETPZ115721 का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें। इसके जवाब में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:43:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रकार का कोई मुकदमा, प्रकरण अथवा दोषसिद्ध नहीं हुआ है। लिहाजा प्रकरण में वाहन एवं पेट्रोलियम पदार्थ का बरी किया जावे तथा उनके विरूद्ध की गई कानूनी कार्यवाही ड्रॉप कर वाहन टैंकर एवं पेट्रोलियम पदार्थ मुक्त कर वाहन स्वामी को लौटाया जावे। हमने अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल के अधिवक्ता एवं प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र द्वारा प्रकट तथ्यों पर अवलोकन किया जिसमें पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 नाथुराम गोड़ द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो) द्वारा जारी वाहन पंजी. संख्या RJ-19 GD8217 पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन लाईसेंस नंबर P/NJ/RJ/11/11285(P348044) जो दिनांक 16.12.2022 तक रिन्यु किया गया था प्रस्तुत किया गया। उक्त घटना दिनांक 12.09.2022 को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा बताया हैं जबकि इस समयावधि में अप्रार्थी संख्या 1 का लाईसेंस दिनांक 16.12.2022 तक रिन्यू किया जा चुका था इसके साथ ही अप्रार्थी के ट्रैकर जिसकी क्षमता 20 हजार लीटर है जो कि प्रार्थी द्वारा जब्त किया गया हैं। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह परिवाद में उल्लेखित घटना अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत परिवहन लाईसेंस के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों के परे होना प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कब्जे में रखे गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना नहीं पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हों। ऐसे में अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा तथ्य की भूल के फलस्वरूप दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त 20000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) एवं ट्रैक्टर नंबर RJ-19 GD8217 चैसिस नम्बर MB1CTDYC3EPTL0796 इंजन नम्बर ETPZ115721 जो अस्थाई रूप से अप्रार्थी संख्या 1 को सुपुर्दगी पर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:43:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिये गये है के लिये अप्रार्थी की ओर से निष्पादित सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा निरस्त किये जाकर कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है।

5. आदेश आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:43:55 IST
Reason: SelfAttested